5- **<u>कृत्यों के निवर्हन हेतु प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख</u>** :-

कार्मिकों को अपने कर्तव्यों को अच्छी प्रकार निर्वहन किये जाने हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं इसके अतिरिक्त कार्य के सफल संचालन हेतु कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 यथा संशोधित 1998 , उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली -1991, महिला कल्याण लिपिकीय / अलिपिकीय सेवा नियमावली व राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली तथा सेवा लाभों के सम्बन्ध में वित्त विभाग / प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी विभिन्न शासनादेशों तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है।